विधान परिषद के तृतीय सत्र 2024 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित डा0 आकाश अग्रवाल, मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-5 का उत्तर।

प्रश्न	**उत्तर**
5(क) क्या औद्योगिक विकास मंत्री बतायेंगे कि विधायकों को प्रदेश की सड़कों पर लगे टोल के टैक्स में छूट मिलती है ?	उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे पर टोल की वसूली 'उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे (पथकर उद्ग्रहण और फीस निर्धारण तथा उसकी वसूली (सातवॉ संशोधन) नियमावली, 2020 के अन्तर्गत की जाती है, जिसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विधान सभा एवं उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्यगण से टोल टैक्स में छूट प्राप्त है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गो पर मा0 विधायकों को टोल के टैक्स में छूट दी जाती है।
(ख) क्या कार में लगे पास टोल नाकों में मान्य हैं ?	राष्ट्रीय राजमार्गो पर मा0 विधायकगण को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मानक संचालन प्रक्रिया दिनांक 09-11-2019 एवं 09-12-2019 के अनुसार छूट प्राप्त श्रेणी वाले फास्टैग दिये जाते हैं।
(ग)क्या विधायकों की आई0डी0 को भी टोल बूथ पर नहीं माना जाता है तथा कर्मचारियो के द्वारा आई0डी0 कार्ड की वैधता पर सवाल उठाये जाते हैं ?	भारत का राजपत्र सं0656 दिनांक 03-12-2010 के बिन्दु संख्या-1 के निगम 11 के लिये, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात:- 11. फीस के संदाय से छूट-(1) ऐसे यांत्रिक यान से फीस उद्ग्रहीत और संग्रहीत नहीं की जाएगी।

(क) जो निम्नलिखित को लेकर जा रहें हैं और उनके साथ चल रहें हैं :-

राष्ट्रीय राजमार्गो पर शुल्क संग्रहण राष्ट्रीय राजमार्ग फीस(दर का निर्धारण एवं संग्रहण) नियम 2010 के अन्तर्गत किया जाता है जिसके नियम 11(24)में प्राविधानित है कि 'अपने संबंधित राज्य में किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य, यदि वह राज्य के संबंधित विधानमण्डल द्वारा जारी अपना पहचान पत्र प्रदर्शित करते हैं," अतः उपरोक्त नियम के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गो, टोल प्लाजा पर टोल टैक्स में छूट प्रदान की जाती है।

(घ) यदि हॉ, तो प्रदेश की सड़कों अथवा एयरपोर्ट में विधायकों को मिले पास को नहीं मानने वाले टोल नाकों पर कार्यवाही करायेंगे ?

यूपीडा एवं यमुना प्राधिकरण के नियंत्रणाधीन एक्सप्रेसवेज पर फीस उदग्रहीत और संग्रहीत करने पर प्राप्त शिकायतों के संबंध में नियमानुसार जॉचोपरान्त दोषी के विरूद्ध कार्यवाही का प्राविधान है।

(ड़) यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रश्न नहीं उठता।

नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'
मंत्री,
औद्योगिक विकास विभाग।